न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान रूकमणी बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 292 / 2025
निर्णय दिनांक 20/08/2025

रूकमणी पत्नी महावीर जाति जाट निवासी पिथाना तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा पिथाना पटवार हल्का भूरावास तहसील तारानगर के खाता संख्या 191 के खसरा सं. 980/170 तादादी 1.5174 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। उक्त खसराजात भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम रूकमांदेवी पत्नी महावीरप्रसाद अंकित है जो गलत है। प्रार्थिया का वास्तविक नाम रूकमणी व उसके पति का नाम महावीर के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में भूलवश उनके सामान्य बोलचाल के नाम रूकमांदेवी व महावीरप्रसाद दर्ज हो गये व उसी आधार पर उक्त रोही पिथाना तहसील तारानगर की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम रूकमांदेवी व उसके पति का नाम महावीरप्रसाद चला आ रहा है जो गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर प्रार्थीया का सही नाम रूकमणी व उसके पति का सही नाम महावीर दर्ज होना चाहिए था। उक्त खातेदारी के अलावा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीया का सही नाम रूकमणी पत्नी महावीर है। प्रार्थीया का नाम उक्त खसराजात की जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थीया को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिये प्रार्थीया उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः उक्त खसराजात कृषिभूमि में प्रार्थीया का नाम रूकमणी पत्नी महावीर किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थीया का नाम रूकमांदेवी पत्नी महावीरप्रसाद व रूकमणी पत्नी महावीर दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम रूकमणी पत्नी महावीर पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम रूकमांदेवी पत्नी महावीरप्रसाद अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थीया को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा पिथाना पटवार हल्का भूरावास तहसील तारानगर के खाता संख्या 191 के खसरा सं. 980/170 तादादी 1.5174 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम रूकमांदेवी पत्नी महावीरप्रसाद Delete कर इसके स्थान पर रूकमणी पत्नी महावीर अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/08/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)